न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः–181/2020

1.शकुन्तला देवी पत्नी सतवीर सिह पुत्रीं जगदीश
2.प्रोमिला पत्नी गोविन्दा पुत्री जगदीश
3.सुखां पत्नी कृष्ण कुमार पुत्री जगदीश
} जाति बाजीगर निवासी मिर्जावाली हाल बालासर तहसील रानियां जिला सिरसा।

वादीगण

बनाम्

1.विमला पत्नी जगदीश
2.मुकेश कुमार
3.अजीत कुमार
} पि0 जगदीश } जाति बाजीगर निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादीयागण
श्री महावीरप्रसाद वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 06.01.2021

वादीयागण शकुन्तला देवी आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादीया सं0 1 के नाम से चक 4 एमजैड डबल्यू के खाता सं0 31/30 में कुल 2.783 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति की आय से खरीद की हुई है, जिसमें वादीयागण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है।वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादीयागण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में प्रतिवादीगण 2 व 3 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादीयागण के पक्ष में कर दिया था। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादीया को घरू बटवारां में प्राप्त हुई थी जिस पर वादीयागण ब0हि0ब0 काविज रहकर काश्त करती चली आ रही है व अपनी अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आवियाना आदि जमा करवाती चली आ रही है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादीयागण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से वादीयागण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिए वादीयागण वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादीया सं0 1 के नाम से दर्ज आराजी की वादीयागण अपने नाम से ब0हि0ब0 राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर चकनं0 4 एमजैड डवल्यू के खाता सं0 31/30 मे से विमला का नाम कलमजन करवाना चाहती है।

वादीयागण ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 2 में दर्ज प्रतिवादीया सं0 1 के नाम की आराजी वादीयागण के नाम से राजस्व रिकार्ड में ब0हि0ब0 अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीसं0 1 के नाम से आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी में हम प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 ने वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में से अपने हिस्सा की वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति की आय से खरीद की हुई है।वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादीयागण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में प्रतिवादीगण 2 व 3 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादीयागण के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

पक्ष में कर दिया था। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादीया को घरू बटवारां में प्राप्त हुई थी जिस पर वादीयागण ब0हि0ब0 काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है व अपनी अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाती चली आ रही है। इसलिए वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादीया सं0 1 के नाम से दर्ज आराजी वादीयागण के नाम से ब0हि0ब0 राजस्व रिकार्ड में अंकन कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चकनं0 4 एमजैड डबल्यू के खाता सं0 31/30 मे से विमला का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है।जबाबदावा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियाँ पेश की गई।वादीया शकुन्तला देवी द्वारा साक्ष्य के रुप में अपना व प्रतिवादीया सं0 1 विमला का शपथ पत्र पेश किया तथा वारिसनामा, वारिसनामा बाबत शपथ पत्र व नवनीनतम जमाबन्दीयॉ पेश की गई।

बहस सुनी गई।वकील वादीयागण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीयागण व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है।वाद में सहमति का जबाबदावा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादीयागण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि वादीयागण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीयागण के वाद को स्वीकार किया गया है व प्रतिवादीसं0 2 व 3 ने अपने हक व हिस्सा का त्याग किया हुआ है। वादपत्र की दफ में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति की आय से खरीद की गई है।वादीयागण द्वारा वारिसान तस्दीक़ बाबत शपथ पत्र, साक्ष्य के रुप मे शपथ पत्र वादीया सं0 1 व प्रतिवादीया सं0 1 का शपथ पत्र आदि प्रस्तुत क़िये है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीयागण के वाद को स्वीकार किया गया है। वादीयागण का वाद पूर्णतया साबित है।मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के उपरान्त प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जबाबदावा, शपथ पत्र वादीयागण का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीया सं0 1 के नाम से दर्ज है।पत्रावली में वादीयागण द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दी वगैरह प्रस्तुत किये गये उन दस्तावेजो के आधार पर व प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार का वाद का विरोध न करने के कारण तथा मुताबिक जबाबदावा सहमति वाद वादीयागण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादीयागण साबित करने में सफल रही है। वाद वादीयागण स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीयागण स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादीया सं0 1 के नाम से चक 4 एमजैड डबल्यू के खाता सं0 31/30 में कुल 2.783 है0 आराजी की वादीयागण सं0 1 ता 3 को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक 4 एमजैड डबल्यू के खाता सं0 31/30 में से प्रतिवादीया सं0 1 विमला का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–181/2020

1.शकुन्तला देवी पत्नी सतवीर सिह पुत्रीं जगदीश
2.प्रोमिला पत्नी गोविन्दा पुत्री जगदीश
3.सुखां पत्नी कृष्ण कुमार पुत्री जगदीश
} जाति वाजीगर निवासी मिर्जावाली हाल वालासर तहसील रानियां जिला सिरसा।

वादीगण

बनाम्

1.विमला पत्नी जगदीश
2.मुकेश कुमार
3.अजीत कुमार
} पि0 जगदीश
जाति बाजीगर निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीयागण मिन जामिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादीया सं0 1 के नाम से चक 4 एमजैड डबल्यू के खाता सं0 31/30 में कुल 2.783 है0 आराजी की वादीयागण सं0 1 ता 3 को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक 4 एमजैड डबल्यू के खाता सं0 31/30 में से प्रतिवादीया सं0 1 विमला का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज...X....निल..X.....मुब्लिक....X.निल.....x...बाबत्.....x....निल...x.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....xअदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक06.01.2021को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी